

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-206 / 2019

राज कुमार बरई, पे०-स्व० दुर्गा प्रसाद बरई, सा० पुराना एल०आई०सी० कार्यालय बरगंडा के निकट,
डाकघर-गिरिडीह, थाना-गिरिडीह, (टी०), जिला-गिरिडीहयाचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, झारखण्ड खान और भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस डाकघर-डोरण्डा, थाना-डोरण्डा, जिला-रांची
3. निदेशक, झारखण्ड खान और भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस डाकघर-डोरण्डा, थाना-डोरण्डा, जिला-रांची
4. उपायुक्त, गिरिडीह, डाकघर-गिरिडीह, थाना-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह
5. जिला खनन अधिकारी, गिरिडीह, डाकघर-गिरिडीह, थाना-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह
6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, डाकघर-गिरिडीह, थाना-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह
7. अंचल अधिकारी, बेंगाबाद, डाकघर-बेंगाबाद, थाना-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह

..... विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री गौरव अभिषेक, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : कोई नहीं

03/27.09.2019 याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित श्री गौरव अभिषेक, अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह याचिका डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-2116/2016 पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जो अनुपस्थिति के कारण दिनांक 28.02.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस याचिका के पैरा 3 और 4 में अनुपस्थिति का कारण बताया गया है।

3. याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि पहुँच सकती है।
4. इस याचिका का विरोध करने के लिए विपरीत पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है और इस याचिका के लिए कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।
5. याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-2116/2016 की पुनःस्थापन के लिए इस सिविल विविध याचिका में दिखाए गए कारण से संतुष्ट होने के बाद, इस सिविल विविध याचिका को एतद् द्वारा अनुमति दी गई है और रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-2116/2016 को इसके मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।
6. कार्यालय को दशहरा छुट्टी के तुरंत बाद रोस्टर के अनुसार उचित बेंच के समक्ष डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-2116/2016 को पोस्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)